रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 120] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 1973/चैत्र 10, 1895
No. 120] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1973/CHAITRA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

WEALTH TAX

New Delhi, the 31st March, 1973

S.O. 187(E).—In exercise of the powers conferred by section 46 of the Wealth Tax Act 1957 (27 of 1957), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Wealth-Tax Rules, 1957, namely:—

1. (1) These rules may be called the Wealth-Tax (Second Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come in to force on the 1st day of April, 1973.

2. In the Wealth-Tax Rules 1957, after rule 2 G, the following rules shall be inserted namely :—

"2H. *Valuation of assets forming part of industrial undertaking.*—(1) For the purposes of clause (xxxi) of sub-section (1) of section 5, the value of assets (not being any land or building or any rights in any land or building or any asset referred to in any other clause of that sub section) forming part of an industrial undertaking belonging to the assessee shall be determined in the manner specified in sub-rule (2).

(2)(i) The value of each asset referred to in sub-rule (1), other than cash, shall be estimated to be the price which, in the opinion of the Wealth-tax Officer it would fetch if sold in the open market on the valuation date and the aggregate price so estimated as increased by the amount of cash shall be the value of such assets,

(b) Notwithstanding anything contained in clause (a), where, in respect of the business of the industrial undertaking, accounts are maintained by the assessee regularly, the Wealth-tax Officer may, instead of determining separately the value of each such asset, determine the value of such assets as a whole having regard to the balance-sheet of such business as on the valuation date and shall make adustments therein as specified in rules 2B, 2C, 2D and 2G in so far as they are applicable.

2-I. *Valuation of interests in assets of industrial undertaking belonging to a firm or association of persons.*—For the purposes of clause (xxxii) of sub-section (1) of secton 5, the value of the interest of the assessee in the assets (not being any land or building or any rights in any land or building or any asset referred to in any other clause of that sub-section) forming part of an industrial undertaking belonging to a firm or an association of persons of which the assessee is partner, or, as the case may be, a member, shall be determined as follows:—

(a) the value of such assets shall first be determined in the manner laid down in rule 2H as if the assets formed part of an industrial undertaking belonging to the assessee;

(b) the aggregate value of such assets as determined under clause (a) shall be reduced by the value of the debts owed by the firm or association which are secured on, or which have been incurred in relation to, such assets ;

(c) that portion of the net value of such assets so arrived at as does not exceed the amount of the capital of the firm or association shall be allocated among the partners or members in the proportion in which capital has been contributed by them ;

(d) the residue, if any, of the net value of such assets shall then be allocated among the partners or members in accordance with the aggreement of partnership or association for the distribution of assets in the event of dissolution of the firm or association and, in the absence of snch agreement, in the proportion in which the partners or members are entiled to share profits ;

(e) the sum total of the amounts allocated to the partner or member under clause (c) and clause (d) shall be the value of the interest of that partner or member in such assets of the firm or association."

[No. 326/F. No. 143 (2)/73-TPL.]
O. P. BHARDWAJ, Secy.
Central Board of Direct Taxes.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

धन–कर

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1973

का० आ० 187 (अ).—धन–कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड, धन कर नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का नाम धन–कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1973 है।

(2) ये 1973 की अप्रैल के प्रथम दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. धन–कर नियम, 1957 में, नियम 2छ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"2 ज. औद्योगिक उपक्रम के भाग की आस्तियों का मूल्यांकन:— (1) धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (xxxi) के प्रयोजनार्थ निर्धारिती के किसी औद्योगिक उपक्रम के भाग की आस्तियों (जो भूमि या भवन या किसी भूमि या भवन में कोई अधिकार या उस

उपधारा के किसी अन्य खण्ड में विनिर्दिष्ट कोई आस्ति नहीं है) का मूल्य उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति से अवधारित किया जाएगा।

(2) (क) नकद से भिन्न, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आस्ति का मूल्य, ऐसी कीमत से प्राक्कलित किया जाएगा जो, धन-कर अधिकारी की राय में खुले बाजार में मूल्यांकन की तारीख को बिक्री किए जाने पर उसे प्राप्त होती, और इस प्रकार प्राक्कलित कुल मिलाकर कीमत को नकद राशि द्वारा बढ़ाकर आस्तियों का मूल्य होगा।

(ख) खण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी, जब औद्योगिक उपक्रम के कारबार की बाबत निर्धारिती द्वारा नियमित रूप में लेखा रखा जाता हो तो धन-कर अधिकारी ऐसी प्रत्येक आस्ति के अलग-अलग मूल्य अवधारित करने की बजाए, मूल्यांकन की तारीख को ऐसे कारबार के तुलन-पत्र को ध्यान में रख कर ऐसी आस्तियों का पूर्ण रूपेण मूल्य अवधारित कर सकेगा और नियम 2(ख), 2 (ग), 2(घ) और 2(छ), जहां तक वे लागू होते हैं, में विनिर्दिष्ट ढंग से उनमें समंजन करेगा।

2 (झ). किसी फर्म या व्यक्तियों के संगम के औद्योगिक उपक्रम की आस्तियों में हित का मूल्यांकन—धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (xxxii) के प्रयोजनार्थ किसी फर्म की या व्यक्तियों के किसी ऐसे संगम की जिसका निर्धारिती भागीदार हो या यथास्थिति सदस्य हो औद्योगिक उपक्रम के भाग की आस्तियों (जो भूमि या भवन या किसी भूमि या भवन में कोई अधिकार या उस उपधारा के किसी अन्य खण्ड में विनिर्दिष्ट कोई आस्ति नहीं है) में निर्धारिती के हितों का मूल्य निम्नलिखित के अनुसार अवधारित किया जाएगा —

(क) ऐसी आस्तियों का मूल्यांकन प्रथमः नियम 2(ज) में अधिकथित रीति से अवधारित किया जाएगा, जैसा कि निर्धारिती के औद्योगिक उपक्रम के भाग के रूप में आस्तियां हैं ;

(ख) खण्ड (क) के अधीन यथा अवधारित ऐसी आस्तियों का कुल मिलाकर मूल्य फर्म या संगम द्वारा लिया गया ऋण का मूल्य जो प्रतिभूत हो या जो उसके संबंध में उपगत किया गया हो ऐसी आस्तियों के बराबर कम कर दिया जाएगा,

(ग) इस प्रकार निकाली गई आस्तियों के शुद्ध मूल्य का वह भाग जो फर्म या संगम की पूंजी की राशि से अधिक नहीं है, भागदारों या सदस्यों के बीच में उनके द्वारा सम्पत्ति का जिस अनुपात से अभिदेय किया गया है, उसमें आबंटित किया जाएगा,

(घ) ऐसी आस्तियों के शुद्ध मूल्य का बकाया, यदि कोई हो, तब भागीदार या संगमन के करार के अनुसार भागीदारों या सदस्यों के बीच में फर्म या संगम के विघटन की स्थिति में आस्तियों के वितरण के लिए, और ऐसा करार न होने पर भागीदार या सदस्य जिस अनुपात में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, उस अनुपात में आबंटित किया जाएगा।

(ङ०) खण्ड (ग) और खण्ड (घ) के अधीन किसी भागीदार या सदस्य को आबंटित राशि का कुल जोड़ फर्म या संगम की ऐसी आस्तियों में उस भागीदार या सदस्य के हितों का मूल्य होगा।"

[सं० 326/फा०सं० 143 (2)/73-टी पी एल]

ओ० पी० भारद्वाज, सचिव,
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973